मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 02-06/2018/सात/6 / 919 भोपाल, दिनांक 07/08/2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018

--00--

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों में वृहद संशोधन किये जाकर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया है जो कि **www.govtpressmp.nic.in** पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड किया जाकर धारावार विस्तृत अध्ययन किया जाये।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा - 1 की उपधारा (2) के अनुसार संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि की अधिसूचना राज्य शासन द्वारा जारी की जायेगी। अधिसूचना में उल्लेखित तिथि से उक्त संशोधन अधिनियम प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 में विषय सूची अनुसार धारा - 01 लगायत 122 के अन्तर्गत संहिता की धाराओं में संशोधन किये गये है। संशोधन अधिनियम में किये गये कुछ प्रमुख संशोधन निम्नानुसार है:-

1. राजस्व अधिकारी के वर्ग में प्रमुख राजस्व आयुक्त को सम्मिलित करते हुये, उसकी नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्यों को विहित किया गया है।
2. जिले में उपखण्ड निर्मित किये जाने की प्रक्रिया धारा - 13 अनुसार तहसील निर्मित करने की प्रक्रिया के समान विहित की गई है।
3. अपील (प्रथम तथा द्वितीय) प्रस्तुत किये जाने की परिसीमा आदेश की दिनांक से 45 दिवस नियत की गई है।
4. पुनरीक्षण के प्रावधानों में संशोधन किया जाकर पक्षकार के आवेदन पर प्रकरण के निराकरण की अधिकारिता आयुक्त / कलेक्टर / जिला सर्वेक्षण अधिकारी को प्रदत्त की गई है।
5. भूमि उपयोग के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में व्यापक परिवर्तन किये गये है। धारा - 172 के तहत व्यपवर्तन के प्रावधानों का लोप किया गया है एवं धारा - 59 के तहत प्रब्याजि एवं भू-राजस्व पुनर्निधारण बावत नवीन प्रावधान किये गये है।
6. संहिता के अध्याय - 7 एवं अध्याय - 8 का लोप किया गया है एवं नवीन अध्याय - सात "भू-सर्वेक्षण" एवं धारा - 61 से धारा - 77 तक प्रावधानित की गई है।
7. पटवारी हल्कों / नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरो / राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना के अधिकार आयुक्त भू-अभिलेख में निहित किये गये है।

8. भू-अभिलेखों में अधिकार - अर्जन बावत नामांतरण के प्रावधान धारा - 109 एवं धारा - 110 में संशोधन किया गया। पारित आदेश एवं अद्तन भू-अभिलेख की प्रति पक्षकार को नि:शुल्क प्रदाय किया जाना प्रावधानित किया गया है।
9. अधिकार अधिलेख के शुद्धिकरण की अधिकारिता कलेक्टर को एवं भू-अभिलेख के शुद्धिकरण की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को सौंपी गई है।
10. सीमांकन से संबंधित धारा - 129 में संशोधन किया गया है। सीमांकन से परिवेदित पक्षकार को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है एवं सीमांकन की कार्यवाहीयों के विरूद्ध अपील एवं पुनरीक्षण को बाधित किया गया है।
11. बकाया की वसूली हेतु वित्तीय आस्तियों से वसूली किया जाना धारा - 147 में प्रावधानित किया गया है एवं रूपये 50.00 लाख से अधिक की भू-राजस्व की बकाया के भुगतान में चूक करने वाले व्यक्ति को 15 दिवस तक के सिविल कारागार में निरूद्ध किये जाने का प्रावधान किया गया है।
12. धारा - 178(क) में संशोधन किया जाकर भूमिस्वामी के जीवनकाल में खाते या उसके भाग का विभाजन बावत प्रावधान किया गया है।
13. भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने के प्रावधान का लोप किया गया है।
14. अध्याय - 14 "मौरूसी कृषक" का लोप किया गया है।
15. धारा - 250(क) का लोप किया गया है एवं धारा - 250(क) के प्रावधानों को यथा संशोधित रूप में धारा - 250 में समाहित किया गया है।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 से धारा - 258 में संशोधन किया जाकर संशोधन अधिनियम अनुसार नियम, प्रारूप आदि विहित किया जाना प्रावधानित किया गया है।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों का अध्ययन कर अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को संशोधन अधिनियम से अवगत कराये।

(अनुराग सक्सेना)
उप सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 02-06/2018/सात/6 /920

भोपाल, दिनांक 07/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

उप सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग